प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 29.09.2024
जनपद सोनभद्र

सोनभद्र पुलिस का अनवरत प्रहार, एसओजी/ सर्विलांस टीम व चोपन पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, एक KIA कार से कुल 76 किग्रा 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा, 05 अदद मोबाइल व नगद 65,500 रुपये (गांजा व कार की कुल अनुमानित कीमत रुपये 28 लाख) बरामद-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस के निरन्तर प्रहार की कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारू द्विवेदी के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम व चोपन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 28.09.2023 को समय 18.30 बजे वाराणसी-शक्तिनगर राज्य मार्ग पर परासपानी चोरपनिया जंगल के मोड़ के पास से एक KIA Carnes कार संख्या OD 15 Y 6762 की डिग्गी में 02 बोरे में छिपाकर उड़ीसा प्रान्त से गांजा ले जा रहे कुल 76 किग्रा 500 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत रुपया 12 लाख) के साथ 03 नफर अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया । इस बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चोपन पर मु0अ0सं0-199/2024 धारा 8/20/29/60 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त बरामद गांजा का आर्डर 03 व्यक्तियों ने क्रमशः गोरेलाल उर्फ बाबूलाल केशरवानी निवासी घटवा तरौली करछना प्रयागराज, राम दरस मालवीय निवासी ग्राम तीता बरया, थाना हलिया, मिर्जापुर, अभय मालवीय पुत्र राम दरस मालवीय निवासी मिर्जापुर दिया था जिसे हम तीनों लोग उड़िसा से गांजा ले जाकर उन लोगों को डिलीवरी करना था।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण –

1- श्रीराम शाहू पुत्र लक्ष्मन शाहू निवासी ग्राम ऐंलापाली टाटर किला, थाना बाउनसुनी, जनपद बौद्ध (उड़ीसा) उम्र करीब 26 वर्ष।

2- परिक्षित बारिख पुत्र शंभू बारीख (तेली) निवासी ग्राम बुरामाल, थाना बाउनसुनी, जनपद बौद्ध (उड़ीसा) उम्र करीब 32 वर्ष।

3-चिंतामणि खटुआ पुत्र गणेश शाहू निवासी ग्राम ऐंला पाली टाटर किला, थाना बाउनसुनी, जनपद बौद्ध (उड़ीसा) उम्र करीब 26 वर्ष।

श्रीराम शाहू का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 14/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कछवा, जनपद मीरजापुर।

2. मु0अ0सं0 199/2024 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

वांछित अभियुक्त गण का विवरण –

1- गोरेलाल उर्फ बाबूलाल केशरवानी निवासी घटवा तरौली करछना प्रयागराज,

5- राम दरस मालवीय निवासी ग्राम तीता बरया थाना हलिया मिर्जापुर,

6- अभय मालवीय पुत्र राम दरस मालवीय निवासी मिर्जापुर

बरामदगी का विवरण -

1- 76 किलो 500 ग्राम गांजा (कीमत 12 लाख रूपये)

2- बिक्री का रुपया 65 हजार 500 रूपये।

3- वाहन - KIA Carnes कार OD 15 Y 6762 (कीमत 16 लाख रूपये)

4- 05 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार चौरसिया, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र ।

2. निरीक्षक श्री राम स्वारूप वर्मा, प्रभारी एसओजी, जनपद सोनभद्र।

3. निरीक्षक श्री इरफान अली, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

4. उ0नि0 श्री नागेश सिंह, प्रभारी सर्विलांस, जनपद सोनभद्र।

5. हे0का0 सतीश पटेल, हे0का0 संजय चौहान का0 रितेश पटेल का0 प्रेम कुमार चौरसिया का0 जय प्रकाश सरोज, एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।

6. का0 रितेश गौड़, का0 चन्द्रजीत यादव, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

नोटः इस सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा 25 हजार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।